

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)

भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 24/11/23

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सभी जिला न्यायालय/अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवनों के अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-9517 (भ), दिनांक-23.11.2023

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह-रक्षा चाहिनी एवं अग्नि शमन सेवा, बिहार, पटना का अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित सुझावों के आलोक में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

इस क्रम में विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-25.11.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे VC के माध्यम से एक बैठक आहूत की गयी है।

अतः निदेश है कि विषय से संबंधित प्रतिवेदन के साथ बैठक में ससमय भाग लिया जाए। VC हेतु लिंक समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

24-11-23

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 9567 (n)

पटना/दिनांक:- 24/11/23

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-11-23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 9567 (n)

पटना/दिनांक:- 24/11/23

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-11-23

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव